

पर्चा डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

182/2025

रमेश कुमार पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा।
विकास पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम


1. हवासिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा।
2. किरण पुत्री हवासिंह, जाति जाट, निवासी गांधी बड़ी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दिव्य शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा चक 2 एस.डी.आर. के खाता संख्या 129/02 के मु0न0 24 के किला नं0 3/1, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8 की कुल 1.5180 है0 व चक 3 एस.डी.आर. के खाता संख्या 93/85 के मु0न0 27 के किला नं0 25 व मु0न0 28 के किला नं0 21, 22, व मु0न0 31 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10 व मु0न0 32 के खाता संख्या नं0 5/1, 5/2, 6, 7 की कुल 2.530 है0 व चक 6 एसडीआर के खाता संख्या नं0 1/195 के मु0न0 44 के किला नं0 7/1, 14 ता 17, किला नं0 24 व किला नं0 25 की कुल 1.6440 है0 भूमि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह की बजाए वादी सं0 1 रमेश कुमार व वादी संख्या 2 विकास कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में भूमि यथा गै0मु0 रास्ता खाला आदि को यथावत् रखा जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो भूमि मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **28.01.2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा जारी की गई।




(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़